राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	549/2021 कमलेश | मामचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/21	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अपीलांट विवादग्रस्त भूमि का रिकॉर्ड सहखातेदार काश्तकार है, जिसको एवम् अन्य सहखातेदारो को सुने बगैर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश जेर अपील के जरिये उन्हें गलत रूप से प्रतिबान्धित कर दिया, जिससे विवादित भूमि के रिकॉर्ड सहकाश्तकार अपनी आराजी का स्वतन्त्र उपयोग - उपभोग नहीं कर पा रहे है एवम् ना ही फौत हो चुके रिकॉर्ड सहकाश्तकारो के विरासत का नामान्तकरण हो पा रहा है. जबकी यह आवश्यक है कि यदि कोई रिकॉर्ड खातेदार फौत हो जावे तो उसके विधिक वारिसान् के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो। किन्तु आदेश जेर अपील के प्रभाव मे रहने से रिकॉर्ड खातेदार एवम् उनके विधिक वारिसान् अपने काश्तकारी के अधिकारो से वंचित हो रहे है। अतः विधि के सिद्धांतो	

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	549/2021 कमलेश / मामचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के विपरित पारित आदेश जैर अपील की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस के परिपेक्ष में आदेश जैर अपील दिनांक 05/7/2021 का अवलोकन किया, जिसमे सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के रहन, बेचान नही किये जाने हेतु पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक के लिये पाबन्द फरमाया गया है, जिससे विवादग्रस्त भूमि के रिकार्ड खातेदारो के विरासत के नामान्तकरण खोले जाने में आदेश जैर अपील दिनांक 05/7/2021 से कोई बाधा उत्पन्न नही होती है एवम् विरासत के नामान्तकरण हेतु पक्षकार स्वतन्त्र है। ऐसे मे अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत नही होती है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की फुल बेन्च द्वारा RRT 2014 (1) पृष्ठ सं. 409 मे विस्तृत विवेचन के साथ पारित के पृष्ठ सं. 451 के पेरा नम्बर 74 के प्रश्न सं. 2 मे दिये गये निर्देशो के अनुसार यह अपील इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नही रहती है। अतः अपील	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
549/2021	कमलेश / मानचन्द 3	
	अपीलार्थी खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली केसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)